

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

Email- ceogida-up@up.gov.in, ceogida@rediffmail.com

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा ई-निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/टेकेदार से ऑनलाइन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा दिनांक 04.05.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 26.05.2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 26.05.2026 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड सेक्टर-7 स्थित गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निविदा धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर-15 में फूड पार्क के मरम्मत व चित्रकारी तथा गजेबो का निर्माण कार्य।	27.02	02.71	(निविदा मूल्य + जी. एस.टी.) रु0 1770.00	06 माह	A/B/C	आन-लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 26.05.2026 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्त:-

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य की धनराशि उपरोक्त तालिका के कालम-"5" के अनुसार एवं धरोहर धनराशि उपरोक्त तालिका के कालम-"4" के अनुसार ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से यू0पी0 ई-टेंडर के आन लाईन खाते में जमा की जायेगी, यदि निविदादाता द्वारा ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा मूल्य की धनराशि की वापसी नहीं की जायेगी।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार निविदा के साथ दिये गये सभी प्रपत्र की सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व एवं निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड मूल रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
 - i) ऐसे निविदादाता जिनके सगे-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि गीडा में कार्यरत है।

- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति, विना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के, नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी विना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ यथा-वर्तमान में चल रहे कार्य आदि निर्धारित प्रपत्रों पर ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) का आंकलन /परीक्षण किया जा सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे-टी-4(चरित्र प्रमाण पत्र),टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 (शपथ पत्र)मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत 100/- के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपरनोटराइज्ड होना)प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं02572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) निविदा में संलग्न समस्त शपथ पत्र रू0 100/- नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड होना अनिवार्य है।
 - iii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलिप्त हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हों, उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5) निविदादाता द्वारा उक्त कार्य के सापेक्ष प्रभावी लोक निर्माण विभाग के बिडिंग डायक्यूमेंट टी-1 के प्राविधानों के अनुसार संतोषजनक रूप से पूर्ण किये गये कार्य का निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 6) निविदादाता द्वारा उक्त कार्य के सापेक्ष प्रभावी लोक निर्माण विभाग के बिडिंग डायक्यूमेंट टी-1 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र (UDIN के साथ) बैलेन्स शीट एवं विगत 05 वर्षों का आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण EPF व ESI के पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 7) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
- 8) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- 9) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य का कार्यादेश, आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर, समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है, अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000/- प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 11) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 1 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारीगीडा में निहित होगा।
- 12) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी। यदि निविदा की दरें अव्यवहारिक पायी जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यहित में निविदा को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।
- 13) ठेकेदार द्वारा कराये गये मानकों के अनुसार कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता/मात्रा की जांच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 14) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 15) ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 16) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 17) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
iii) अनुबंध गठन के समय ठेकेदार को अतिरिक्त परफार्मेंस गारण्टी प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासनादेश 692/23-7-2024 दिनांक 9-8-2024 के अनुसार देय होगी।
- 18) बिटुमिन कार्य हेतु हॉटमिक्स प्लान्ट/सीमेन्ट कंकीट के कार्यों हेतु आर0एम0सी0 प्लान्ट, अन्य मशीनरी का स्वामित्व अथवा लीज एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
- 19) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।
- 20) निविदा की तकनीकी अर्हता के लिये ठेकेदार का EPF व ESI के पंजीकरण अनिवार्य होगा।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 470 /अभि0नि0-6/सिविल/निविदा/गीडा/2026-27, दिनांक: 24/04/2026

प्रतिलिपि :-

- 1- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 4- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
- 5- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।


(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी